

24-08-2021 आज श्री प्रहलाद जाखड़ एडवोकेट एवं

अपीलान्ट्स आशाशंभ एव सुब्तान गिर  
स्वयं उपस्थित होने पर पत्रावली तारीख  
पेढी में ली गई। अपीलान्ट्स की ओर से  
दिनांक 19-08-2021 को श्री प्रहलाद जाखड़  
एडवोकेट ने जरिये वकालतनामा उपस्थित  
होकर शर्चना पत्र पेढी कर अपीलान्ट्स द्वारा  
अपील आगे नहीं चलाने पर अपील विड्रॉल  
स्वोरिज करवाने का निवेदन किया।  
विड्रॉल शर्चना पत्र पर सुना गया। श्री प्रहलाद  
जाखड़ एडवोकेट ने विड्रॉल शर्चना पत्र पर अंकित  
विड्रॉल पर बहस कर कहा कि अपीलान्ट्स  
उपरोक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं,  
इसलिए अपील जरिये विड्रॉल स्वोरिज करवाई जावे।  
अपीलान्ट्स के पूर्व अधिवक्ता श्री विजय कुमार पारीक  
ने अपीलान्ट्स द्वारा नवीन वकालतनामा प्रस्तुत करने  
पर (No objection) अनापत्ति किया। अपीलान्ट्स  
जो कि न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थित है ने शर्चना  
पत्र मध्य पहचान पत्र प्रस्तुत कर अपील आगे नहीं  
चलाने के संभव से कथन किया।

द्वारे विड्रॉल शर्चना पत्र एवं पत्रावली का हवलोकन  
किया तथा बहस पर मनन किया।

अपीलान्ट्स स्वयं इस अपील को आगे नहीं चलाना  
चाहता है, अतः विड्रॉल शर्चना पत्र स्वीकार किया  
जाकर अपील अपीलान्ट्स जरिये (withdraw)  
विड्रॉल स्वोरिज की जाती है। पत्रावली नम्बर  
से कम हो। आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ  
न्यायालय को भेजी जाकर पत्रावली का  
तरतीब तत्काल दायित्व दल्लतर रहे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/8/2021  
शुद्ध  
48-11-11  
T. J. J. J.  
11/11/2021

अधीनस्थ के  
निर्णय प्रति  
भेजी  
286-287  
23-9-2021

||  
अति.समापीय आयुक्त  
बीकानेर